

DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 14.10.2020

सेवा में,

भारती प्राइवेट आईटीआई,

66 तानसेन रोड ग्वालियर,

जिला - ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिनकोड- 474004

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस।
महोदय,


इस निदेशालय को दिनांक 23.09.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (29.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

श्री काँज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार
गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटा, पुर - 482002 मध्यप्रदेश।

✓ 2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU23000766)



ए/ए के. पंजी. अनु. वृद्धि जारी करे

माधु



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/19/2020-O/o DIR(TC)(MP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 14.10.2020

सेवा में,

न्यू मोलिक्यूलर प्राइवेट आईटीआई,
बाड़ा गाँव चैत्योरा रोड ग्वालियर,
जिला - ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिनकोड- 474006

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।
महोदय,


इस निदेशालय को दिनांक 23.09.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईटीआई में बिना आवेदन/निरीक्षण के सीटों में वृद्धि की गई है। (पत्र की प्रति संलग्न) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (29.10.2020 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार
गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, ब्लॉक नं. 9 सिविक सेंटर माघोटल, जबलपुर - 482002 मध्यप्रदेश।

2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR23000985)







संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण